RAC + FC + AC + EC

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वद्यािलय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

कार्यवृत्त

आज दिनांकः 02.02.2022 को अपरान्ह 1:00 बजे Research Advisory Committee की बैठक अधिष्ठाता शोध कक्ष समाज विज्ञान संस्थान, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में आहूत की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये।

1- प्रो. विनीता सिंह, अधिष्ठाता शोध, समाज विज्ञान संस्थान – सदस्य
2- प्रो. सुगम आनन्द, इतिहास विभाग – सदस्य
3- प्रो. बी.पी. सिंह, उप अधिष्ठाता शोध, भौतिक विभाग – सदस्य
4- प्रो. यू.सी. शर्मा, संकायाध्यक्ष कला – सदस्य
5- प्रो. भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा, संकायाध्यक्ष, लाइफ सांइस – सदस्य
6- सहायक कुलसचिव शोध / अधीक्षक शोध – सदस्य सचिव

समिति द्वारा निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श कर अन्तिम निर्णय लिया गयाः

बिन्दु संख्या –01 संविदा शिक्षकों को शोध निर्देशक बनाये जाने पर विचार करना।

निर्णय संख्या–01 संविदा शिक्षक जो विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान / सम्बद्व अनुदानित महाविद्यालयों में पाँच वर्ष से अनवरत शिक्षण कार्य कर रहे हों, को शोध निर्देशक बनाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की।

अतः शोध विनियम–2018 के बिन्दु संख्या 6.2 में Only A full time teacher of the University/College can act a Supervisor के स्थान पर "Only A full time Regular Teacher/Contract Teacher of the University/Aided College can act a Supervisor" पढ़ा जाय।

बिन्दु संख्या–02 उच्च शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 2337 / सत्तर–5–2021–11 / 2021 दिनांकः 05 सितम्बर, 2021 में उल्लिखित विषय : "प्रदेश स्थित महाविद्यालयों में शोध कार्यो को प्रोत्साहन / बढ़ावा दिये जाने हेतु सभी परास्नातक एवं स्नातक विभागों के शिक्षकों को शोध निर्देशन के संबधं में " विचार किया

निर्णय संख्या–02 उच्च शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 2337 / सत्तर–5–2021–11 / 2021 दिनांकः 05 सितम्बर 2021 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर सभी परास्नातक एवं स्नातक विभागों के शिक्षकों द्वारा शोध निर्देशन किया जायेगा। ऐसे नियमित एवं पूर्णकालिक शिक्षक जो पी–एच0डी0 किये हों तथा कम से कम पाँच शोध पत्र Refereed Journals में प्रकाशित किये हों। ऐसे शिक्षक शोध निर्देशन कर सकेंगे।

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वद्यिालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि संविदा शिक्षक जो कि शोध निर्देशक बनने के मानक पूर्ण करेंगे उनको भी उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित मानकों के पाँच शोध पत्र Refereed Journals में प्रकाशित करने होंगे। उक्त निर्णय की सर्वसमिति से संस्तुति की गई।

अतः शोध विनियम 2018 के बिन्दु 10.2 में Post Graduate Department of Colleges के स्थान पर Post Graduate Department/Graduate Department of University/Aided Colleges/Govt. Colleges पढ़ा जाय।

बिन्दु संख्या – 03 संविदा शिक्षकों को शोध निर्देशक बनने पर आवंटित सीटों पर विचार।

निर्णय संख्या – 03 शोध विनिनियम 2018 के बिन्दु 6.5 में संविदा शिक्षकों को शोध निर्देशक बनने पर अधिकतम 02 (दो) सीटें आवंटित करने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गई।
अतः बिन्दु 6.5 में । research supervisor ---------- Ph.D. scholars, Contract teacher as research supervisor can guide upto a maximum of two (02) Ph.D. scholors respectively" पढ़ा जाय।

बिन्दु संख्या – 04 नये प्राचार्य जो कि शोध निर्देशक नहीं हैं उनके शोध निर्देशक के रूप में आवंटित सीटों पर विचार करना।

निर्णय संख्या – 04 ऐसे प्राचार्य जिनका प्राचार्य पद पर स्थायीकरण हो चुका है उनको प्रोफेसर के समकक्ष मानते हुए अधिकतम 08 (आठ) सीट आवंटित करने की सर्वसम्मति से संस्तुति की।

बिन्दु संख्या – 05 जो शोध निर्देशक प्राचार्य पद पर अन्य महाविद्यालयों में स्थानान्तरित हो गये हैं उनके निर्देशन में आंबटित शोधार्थियों को शोध कार्य कराने पर विचार करना।

निर्णय संख्या – 05 जो शोध निर्देशक प्राचार्य पद पर अन्य महाविद्यालयों में स्थानान्तरित हो गये हैं उनके निर्देशन में आंबटित शोधार्थियों को शोध कार्य संबंधी मानक उस महाविद्यालय में पूर्ण हो रहे हैं, तो एक (Undertaking) के साथ शोध कार्य पूर्ण करा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में शोधार्थी को नियमानुसार शोध निर्देशक बदलकर आबंटित या अन्य शोध केन्द्र से शोध कार्य करने की सर्वसम्मति से संस्तुति की जाती है।

बिन्दु संख्या – 06 प्राचार्या बलबन्त विद्यापीठ रूरल इन्टीट्यूट, बिचपुरी आगरा के पत्र सं. 506/22 दिनांकः 17.01.2022 में उल्लिखित Rural Sociology and Community Development विषय में शोध कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विचार करना।

निर्णय संख्या – 06 उक्त प्राचार्या के पत्र पर विचार करते हुए Rural Sociology and Community Development विषय में शोध कार्य करने हेतु उक्त शोध केन्द्र बनाए जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वद्यिालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

बिन्दु संख्या – 07 डॉ. सुनील उपाध्याय एवं डॉ. कृष्ण कुमार केसरवानी, केन्द्रीय पुस्तकालय के द्वारा प्रस्तुत शोध निर्देशक बनने के आवेदन पर विचार करना।

निर्णय संख्या – 07 डॉ. सुनील उपाध्याय एवं डॉ. कृष्ण कुमार केसरवानी शोध निर्देशक बनने के नियमानुसार मानक पूर्ण नहीं करते हैं अतः उनको शोध निर्देशक बनने की अनुमति प्रदान नहीं किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की जाती है।

बिन्दु संख्या – 08 ऐसे शोध निर्देशकों के आवेदन पत्र जिन्होंने पूर्व में आवंटित शोधार्थियों को शोध कार्य पूर्ण कराने में असमर्थता व्यक्त की थी उनको सीट आंबंटित करने पर विचार करना

निर्णय संख्या – 08 ऐसे शोध निर्देशक जिन्होंने पूर्व में आवंटित शोधार्थियों को शोध कार्य पूर्ण कराने में असमर्थता व्यक्त की है उनको पुनः नवीन शोधार्थी आवंटित नहीं किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की जाती है।

बिन्दु संख्या – 09 कोर्स वर्क के पाठ्यक्रमों पर विचार करना।

निर्णय संख्या – 09 कोर्स वर्क के पाठ्यक्रमों को पुनरीक्षित किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या – 10 विश्वविद्यालय के नवीन शोध आवेदन पत्र, पंजीकरण शुल्क तथा पी0एच–डी0 के सभी सत्रों के शोध ग्रंथ जमा करने के शुल्क पर विचार करना।

निर्णय संख्या – 10 शोध आवेदन पत्र का शुल्क रू0 1000 (रू0 एक हजार), शोध आवेदन पंजीकरण शुल्क रू. 10,000 (रू0 दस हजार) तथा पीएच.डी. के सभी सत्रों के शोध ग्रंथ जमा करने का शुल्क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शोधार्थियों हेतु रू. 5000 (रू0 पाँच हजार) के स्थान पर रू. 10,000 (रू0 दस हजार) तथा सामान्य वर्ग के शोधार्थियों हेतु रू. 10,000 (रू0 दस हजार) के स्थान पर रू. 20,000 (रू0 बीस हजार) जमा करने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गई।

बिन्दु संख्या – 11 उच्च शिक्षा अनुभाग – 1 के शासनादेश के संख्या – 69/सत्तर–1–2022 दिनांकः 06 जनवरी 2022 उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के विषय प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एम.फिल./पीएच.डी. की उपाधि हेतु कोर्स वर्क पूरा किये जाने के सम्बन्ध में तथा शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र सं. 70/सत्तर–1–2022 दिनांकः 06 जनवरी 2022 विषय यू.जी.सी. विनियम 2018 के विनियम संख्या–18 के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को पी.एच.डी. की 10 प्रतिशत सीटें दिये जाने के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय संख्या – 11 उपरोक्त दोनों शासनादेशों को लागू करने की सर्वसम्मति से संस्तुति की।

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वद्यिालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

बिन्दु संख्या – 12 पीएच.डी. के पूर्व सत्रों के लंबित 67 शोधार्थियों की मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर विचार करना।

निर्णय संख्या – 12 पीएच.डी. के 67 लम्बित प्रकरणों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करके अविलम्ब निस्तारण करने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गई।

समिति द्वारा बिन्दु सख्या 01, 02, 03, एवं बिन्दु सं. 11 के निर्णयों को विद्यापरिषद् तथा कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा बिन्दु सं. 10 को वित्त समिति तथा कार्यपरिषद् की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में सर्वसम्मति से संस्तुति की गई

02/02/22
सहायक कुलसचिव (शोध)
सदस्य सचिव

02/02/22
(प्रो. भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा)
संकायाध्यक्ष लाइफ सांइस

02/02/22
(प्रो. यू.सी. शर्मा)
संकायाध्यक्ष कला संकाय

02/02/2022
(प्रो. सुगम आनन्द)
इतिहास विभाग

(प्रो. बी.पी. सिंह)
उपअधिष्ठाता शोध

02/02/2022
(प्रो. विनीता सिंह)
अधिष्ठाता शोध